खंड—१ संख्या—२८

बिहार विधान-सभा वादवृत

(भाग—२ कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

शुक्रवार, तिथि १२ जुलाई, १९७४

विषय-सूची

	पृष्ठ
बिहार वित्त विधेयक १९७४ से सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व उठायी गई नियमापत्ति के सम्बन्ध में चर्चा।	१—१५
संसोपा के सदस्यों के इस्तीफे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा।	१५-१६
अत्यावश्यक लोक महत्त्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण :	
(क) नवादा जिलान्तर्गत कौआकोल के फौरेस्टर द्वारा श्री लटन मांझी की हत्या।	१६-१७
(ख) रायदयालु सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर में अग्निकांड	१७
ध्यानाकर्षण-सूचनाओं पर सरकारी वक्तव्य :	
(क) नवादा जिलान्तर्गत कौआकोल के फौरेस्टर द्वारा श्री लटन मांझी की हत्या।	१७—२०
(ख) भोजपुर जिला के सहार थाने के मधुसपुर ग्राम के हरिजनों पर अत्याचार।	२०—२६

कौन्टैक्ट किया और कौंटेक्ट नहीं हो सका, तो अधिकारी को माननीय सदस्य को संतुष्टि के लिये फिर स्पौट पर जाना चाहिये था। मैं आपको कहूंगा कि ऐसा क्यों नहीं किया गया।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (कम्यूनिस्ट) —उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि इसमें, माननीय सदस्य को अश्वासन दिया गया था और यह इतनी बड़ी गम्भीर बात है और सबको मालूम है। इनके औफिसर ने इनके पीछे में इन्क्वायरी की, तो तरह-तरह की शक शुभा की बात पैदा होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री एक प्रोग्राम बनाकर माननीय सदस्य के साथ जाकर इन्क्वायरी करेंगे? ऐसा मैं उनसे आग्रह करता हूँ।

श्री दारोगा प्रसाद राय—मंत्री, तो इन्क्वायरी नही करेंगे, लेकिन मैं इसे फिर से देखूंगा कि माननीय सदस्य के साथ स्पौट पर क्यों नहीं गए।

उपाध्यक्ष—जब ऐसा डिसीजन हुआ था कि इनको लेकर स्पौट पर इन्क्वायरी के लिये जाना है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ?

श्री दारोगा प्रसाद राय—मैं पूछकर देखूंगा और आवश्यकता होगी तो कार्रवाई करुंगा कि क्यों नहीं माननीय सदस्य को स्पौट पर साथ ले जाकर इन्क्वायरी की गयी।

लोकायुक्त कार्यालय के पदों के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्न पर वित्त मंत्री का सरकारी वक्तव्य।

श्री दारोगा प्रसाद राय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट और आपका समय लूंगा। श्री भोला सिंह और श्री रामलखन सिंह यादव ने लोकायुक्त के कार्यालय पद के बारे में प्रश्न उठाया था। इनके कार्यालय के लिए कुल पद १८ स्वीकृत है, जिनमें से १६ पद भर दिये गए हैं। उनमें से सिर्फ दो पद, सचिव एवं पेशकार, अभी तक नहीं भरे गए हैं। सचिव के पद के लिए उच्च न्यायालय एवं लोकायुक्त की राय से श्री कृष्ण बिहारी वर्मा, जिला न्यायाधीश, मुंगेर की अधिसूचना दिनांक १६.४.७४ को निर्गत की गयी थी। परन्तु जैसा लोकायुक्त के कार्यालय के पत्र, दिनांक २४.५.७४ द्वारा सूचित किया गया, उच्च न्यायालय ने उन्हें दूसरे काम के लिए रख लिया। पुनः एक उपयुक्त सचिव के चयन की कार्रवाई की जा रही है। ४ भा० प्र० से० पदाधिकारियों का एक पेनल लोकायुक्त के चयन के लिए भेज दिया गया था। उन्होंने उनकी चरित्रपुस्ती की मांग की है। चरित्र पुस्तियों को उनके पास भेजने की

कारवाई की जा रही है। पेशकार के पद को भरने के लिए कार्मिक विभाग को उन्होंने कोई पत्र नहीं भेजा है। लोकायुक्त का पद दिनांक २.६.७३ द्वारा सृजित किया गया है। दूसरे बात यह उठायी गयी है कि उन्हें पे नहीं मिल रहा है। दिनांक १.३.७४ से तीन माह के लिए लोकायुक्त को वेतन प्राधिकार पत्र भेजने की सूचना देते हुए ए० जी० ने बिहार लोकायुक्त अधिनियम के अधीन पुनः लोकायुक्त के पद के सृजन सम्बन्धी आदेश निर्गत करने के लिए एक पत्र भेजा, जिसे दिनांक १७.४.७४ को प्राप्त किया गया। दिनांक ७.६.७४ को ए० जी० को उत्तर भेजा जा चुका है कि चूंकि लोकायुक्त अध्यादेश के उपबन्धों को बिहार लोकायुक्त अधिनियम, १९७३ में सम्मिलित किया गया है एवं इस अधिनियम के उपबन्ध अध्यादेश के उपबन्धों से अप्रासंगिक नहीं हैं, बिहार एवं उड़ीसा जेनरल क्लौजेज ऐक्ट १९१३ की धारा २७ के अनुसार अध्यादेश के अधीन निर्गत किया गया लोकायुक्त के पद के सृजन सम्बन्धी स्वीकृत्यादेश लागू रहेगा एवं इसी कारण बिहार लोकायुक्त अधिनियम के अधीन लोकायुक्त के पद के सृजन सम्बन्धी स्वीकृत्यादेश के निर्गमन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी प्रतिलिपि लोकायुक्त के आप्त सचिव को लोकायुक्त की सूचना के लिए भेज दी गयी है। आशा है कि महालेखाकार शीघ्र लोकायुक्त को नियमित वेतन प्राधिकार पत्र भेज देंगे।

श्री भोला सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, बेगूसराय वाले के सम्बन्ध में कहा गया था कि आज ब्यान होगा।

श्री दारोगा प्रसाद राय—मेरे पास ब्यान तैयार है, आप ले लें।

सामान्य लोकहित के विषयों पर विमर्श :

(क) राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के वर्त्तमान वातावरण :

***श्री विनायक प्रसाद यादव**—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सदन राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के वर्त्तमान वातावरण पर विचार-विमर्श करे।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो सदन में प्रस्तुत किया गया है उसकी वजह यह है कि ५ महीने से समूचे बिहार के विश्वविद्यालय बन्द हैं। सरकार ने यह निर्णय किया है कि १५ ता० से विश्वविद्यालय और कॉलेज खुल जायेंगे। आज जो स्थिति विश्वविद्यालयों और कालेज की है, उससे सभी लोग अवगत हैं। ६ जुलाई को लंगट सिंह कालेज जो उत्तर बिहार का, प्रमुख कालेज है, उसके कार्यालय में आग लगा दी गयी। ८ जुलाई को फिर उसी शहर के दूसरे कालेज यानी रामदयालु सिंह कालेज में